न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

3/2023
...स : 2023/102
प्रवीण पुत्र श्री उदयपाल जाति बिश्नोई साकिन लूणेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:वादी

बनाम

धर्मवीर पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन बिशनपुरा (लूणेवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
मनोज पुत्र श्री सतपाल जाति बिश्नोई साकिन बिशनपुरा (लूणेवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
महावरी पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन बिशनपुरा (लूणेवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. शारदा देवी पत्नी श्री सतपाल जाति बिश्नोई साकिन बिशनपुरा (लूणेवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88—188—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 28.03.2023

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री अवतारसिंह अधि. वादी।
2. प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही।

—: <u>निर्णय</u> :—

दिनांक : 20.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से वाके चक 30 पीएस बी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 में कि.नं. 1 ता 25 में 6.200 है. नहरी गय खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादी का 963/6200 हिस्सा, प्रतिवादी धर्मवीर का 897/6200 हिस्सा, प्रतिवादी मनोज का 1297/3100 हिस्सा, प्रतिवादी महावीर 449/3100 हिस्सा एवं प्रतिवादिया शारदा देवी का 106/775 हिस्सा खातेदारी दर्ज है पक्षकारान द्वारा काश्त की सुविधा को लेकर घरू बंटवारा किया हुआ है घरू बंटवारा में वादी को कि.नं. 6—15—16—25 में भूमि आई हुई है, जिसे वादी शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है। इस संयुक्त खाता की कृषि भूमि में मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण का 1 ता 4 का हिस्सा है, इसलिए काश्तकारी कानून के मुताबिक मुझ वादी तथा अन्य काश्तकारान का प्रत्येक किले की प्रत्येक इंच भूमि पर सांझा व समान अधिकार है चूंकि उक्त कृषि भूमि सांझे खाते में स्थित है, इस कारण हम सभी काश्तकारान को संयुक्त खाते में भूमि होने के कारण अबियाना अदा करने, राजस्व लगान अदा करने, कृषि ऋण उठाने में काफी परेशानी उठानी पड रही है, इसलिए भी मैं वादी कृषि भूमि का किस्म अनुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी हूं। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है तथा किसी भी पक्षकार को विशेष किले के विशेष भाग को बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और ना ही कोई काश्तकार सही ढंग से काश्त कर रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण कृषि के साथ—साथ अपने—अपने कारोबार व नौकरियां करते है, भूमि को काश्त करवाने में परेशानी का सामना करना पडता है इसलिए मैं वादी उक्त कृषि भूमि का किस्म अनुसार अपने हिस्सा में आई भूमि का बंटवारा करवाने का अधिकारी हूं तथा राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि का किलेवाईज बंटवारा किया जाकर खाता विभाजन करवाकर अमलदरामद [illegible] को कई बार न्यायालय में चल कर विधिवत् बंटवारा करने हेतु क[illegible] आजकल का कहकर लम्बे समय से टाल—मटोल करते रहे। हम वादी व प्रति[illegible] के होने के कारण उन पर विश्वास करते रहे लेकिन वे हमेशा टाल—मटोल [illegible] रहे और अन्ततः 19.02.2023 को प्रतिवादी गण ने विधिवत बंटवारा करने से इन[illegible] गया इस भी बिनाए मुखास्मत है बिनाये दावा मुझ वादी को उक्त कृषि भूमि मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner
AnyScanner

के रोज से प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 5 भू स्वामी है, इसलिए आवश्यक पक्षकार होने कारण उसे पक्षकार बनाया गया है इसलिए वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए यालय की शरण में आना पड़ रहा है। कि वादी का वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश है व अन्दर मियाद पेश है। अतः द पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से फैसल व डिक्री फरमाया जावे कि चक 30 पीएस तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 में कि.नं. 1 ता में 6.200 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि का घरेलू बंटवारा अनुसार वादी के कि.नं. 5 –15–16–25 व अगर कोई जमीन और आती है तो कि.नं. 5 में प्रदान कर विभाजन स्ताव तहसीलदार रायसिंहनगर से मंगवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन करते ए अमदरामद किये जाने का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को दिया जावे।

ाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 07.01.2025 को समाचार पत्र अखबार में प्रतिवादीगण की तलबी छाया करवाई गई। एक महिने से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त ही प्रतिवादीगण के न्यायालय में हाजिर नहीं आयें। इस सूरत में प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए विवादग्रस्त भूमि मुताबिक जमाबन्दी सं. 2076–2079 वाके चक 30 पीएस बी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 की कुल 6.200 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि का कब्जा काश्ता व हक एवं हिस्सा की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/स्था/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना व तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/25/465 दिनांक 22.04.2025 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू–अ./2025/3284 दिनांक 19.05.2025 द्वारा विवादग्रस्त भूमि चक 30 पीएस बी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 की कुल 6.200 है. नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. प्रवीण कुमार पुत्र उदयपाल जाति बिश्नोई देहखातेदार चक 30 पीएस बी खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 के कि.नं. 5/1/0.203, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228 कुल 0.962 है. नहरी मय खाला भूमि।
2. कृष्णा बिश्नोई पत्नी महावीर 0.898 है., धर्मवीर पुत्र बृजलाल 0.898है., मनोज पुत्र सतपाल 2.594 है., शारदा देवी पत्नी सतपाल 0.898है., जाति बिश्नोई देहखातेदार चक 30 पीएस बी खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 के कि.नं. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228है., 16/2/0.025, 17 ता 24 में 2.024 है., 25/1/0.228, 25/1/0.025 कुल 5.238 है. नहरी मय खाला भूमि।

4. बहस वादी सुनी गई. बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव, शपथ पत्र, जमाबंदी मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

—:आदेशः—

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी [illegible] की जाती है कि वाके चक 30 पीएस बी तहसील रायसिंहनगर के स[illegible]ख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 की कुल 6.200 है. नहरी मय [illegible] खातेदारी कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात [illegible] रूप से किया जाता है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:31:47 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

AnyScanner

1. प्रवीण कुमार पुत्र उदयपाल जाति विश्नोई देहखातेदार चक 30 पीएस की खाता
संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 के कि.नं. 5/1/0.203, 5/2/0.025,
6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228 कुल
0.962 है. नहरी मय खाला भूमि।

2. कृष्णा विश्नोई पत्नी महावीर 0.898 है., धर्मवीर पुत्र बृजलाल 0.898है., मनोज पुत्र
सतपाल 2.594 है., शारदा देवी पत्नी रतपाल 0.898है., जाति विश्नोई
देहखातेदार चक 30 पीएस की खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 के
कि.नं. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228है., 16/2/0.025, 17 ता 24 में 2.024 है.,
25/1/0.228, 25/1/0.025 कुल 5.238 है. नहरी मय खाला भूमि।
राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तदनुसार
रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। बंटवारा
ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। स्टाम्प
फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल
दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

(आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास
सुनाया गया।

(आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

AnyScanner

1. प्रवीण कुमार पुत्र उदयपाल जाति विश्नोई देहखातेदार चक 30 पीएस बी खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 के कि.नं. 5/1/0.203, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228 कुल 0.962 है. नहरी मय खाला भूमि।
2. कृष्णा बिश्नोई पत्नी महावीर 0.898 है., धर्मवीर पुत्र बृजलाल 0.898है., मनोज पुत्र सतपाल 2.594 है., शारदा देवी पत्नी रातपाल 0.898है., जाति विश्नोई देहखातेदार चक 30 पीएस बी खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 के कि.नं. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228है., 16/2/0.025, 17 ता 24 में 2.024 है., 25/1/0.228, 25/1/0.025 कुल 5.238 है. नहरी मय खाला भूमि। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। **शेष खाता बदस्तूर रहेगा।** बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{[illegible] (आर ए एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को **मेरे द्वारा लिखवाया** जाकर [illegible] सुनाया गया।

{[illegible] (आर ए एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक क[illegible] एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
AnyScanner

डिक्री व मुकदमेहवालाई

(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

बईजलास :सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)

43/2023

[illegible]एमएस : 2023/102

1. प्रवीण पुत्र श्री उदयपाल जाति बिश्नोई साकिन लूणेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:वादी

बनाम

1. धर्मवीर पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन बिशनपुरा (लूणेवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. मनोज पुत्र श्री सतपाल जाति बिश्नोई साकिन बिशनपुरा (लूणेवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. महावीर पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन बिशनपुरा (लूणेवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. शारदा देवी पत्नी श्री सतपाल जाति बिश्नोई साकिन बिशनपुरा (लूणेवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188–209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक : 20.06.2025

वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि–वादी के अधिवक्ता श्री अवतारसिंह **बराड़ की उपस्थिति में निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि :–** वाके चक 30 पीएस बी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 की कुल 6.200 है. नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

1. प्रवीण कुमार पुत्र उदयपाल जाति बिश्नोई देहखातेदार चक 30 पीएस बी खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 के कि.नं. 5/1/0.203, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228 कुल 0.962 है. नहरी मय खाला भूमि।
2. कृष्णा बिश्नोई पत्नी महावीर 0.898 है., धर्मवीर पुत्र बृजलाल 0.898है., मनोज पुत्र सतपाल 2.594 है., शारदा देवी पत्नी सतपाल 0.898है., जाति बिश्नोई देहखातेदार चक 30 पीएस बी खाता संख्या 23 के मु.नं. 14 पं.नं. 246/289 के कि.नं. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228है., 16/2/0.025, 17 ता 24 में 2.024 है., 25/1/0.228, 25/1/0.025 कुल 5.238 है. नहरी मय खाला भूमि। शेष अंकन बदस्तुर रहेगा।

डिक्री आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगनगर

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्पडयूटी	[illegible]50/–	7.[illegible] के लिए स[illegible]	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		8.[illegible] के लि[illegible]	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प........ रूपयेपरप्लीडर की फीस		9.प्लीडर [illegible]	
4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		10.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

AnyScanner

5.कमिश्नर की फीस 6.आदेशिका की तामील		11.आदेशिका की तामील 12.कमिश्नर की फीस	
जोड़	150/–	जोड़	

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

AnyScanner